भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-687
उत्तर देने की तारीख-26/07/2023

देश में छात्रों के नामांकन और उनके पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

687 **श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के संबंध में तेलंगाना सहित राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों की अवस्थांतर दर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के संबंध में तेलंगाना सहित राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्यार्थियों की अवस्थांतर दर में सुधार करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) प्रणाली विकसित की है। यूडाइज़+ 2021-22 के अनुसार, प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (तेलंगाना सहित) छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अनुलग्नक-I में है।

(ख): भारत सरकार ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की, जो प्री-स्कूल से कक्षा XII तक विस्तृत स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य 100% जीईआर प्राप्ति हेतु स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

(ग): यूडाइज़+ 2021-22 के अनुसार, प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर छात्रों संबंधी अवस्थांतर दर और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छात्रों की ड्रॉप-आउट दर संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (तेलंगाना सहित) विवरण अनुलग्नक- II में है।

(घ): समग्र शिक्षा योजना, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करने और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने पर भी केन्द्रित हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए विद्यालयों को शुरू/सुदृढ़ करने, स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन एवं संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियानों को शुरू करना, मौसमी छात्रावास/आवासीय कैंप, विद्यालयों में व्यवसायपरक शिक्षा एवं आईसीटी प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का प्रावधान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता एवं उपकरण हेतु वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल हैं।

******

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी द्वारा 'देश में छात्रों के नामांकन और उनके पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर' के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 हेतु सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69.2	68.6	65.8
आंध्र प्रदेश	100.1	85.4	56.7
अरुणाचल प्रदेश	109.9	66.5	53.7
असम	109.9	74.5	40.0
बिहार	96.2	64.9	35.9
चंडीगढ़	88.5	90.1	81.7
छत्तीसगढ	95.9	78.3	68.1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	89.8	75.0	54.9
दिल्ली	121.2	111.2	95.0
गोवा	91.1	83.0	73.7
गुजरात	92.4	75.2	48.2
हरियाणा	103.2	94.7	75.5
हिमाचल प्रदेश	106.1	94.1	94.1
जम्मू एवं कश्मीर	90.1	60.5	53.2
झारखंड	97.0	68.4	46.4
कर्नाटक	107.1	94.7	56.6
केरल	101.0	97.9	85.0
लद्दाख	74.3	58.8	49.4
लक्षद्वीप	73.2	63.3	62.4
मध्य प्रदेश	88.7	70.0	51.3
महाराष्ट्र	104.3	93.7	71.5
मणिपुर	117.6	76.0	69.9
मेघालय	155.7	85.1	46.0
मिजोरम	137.5	93.4	61.3
नागालैंड	87.3	62.2	35.8
ओडिशा	95.4	80.4	43.6
पुदुचेरी	77.0	76.1	68.7
पंजाब	109.6	95.1	82.0
राजस्थान	101.8	79.2	70.3
सिक्किम	92.9	89.1	64.2
तमिलनाडु	98.8	95.6	81.5
तेलंगाना	110.2	94.1	64.8
त्रिपुरा	109.1	81.3	56.3
उत्तराखंड	113.2	89.9	78.8
उत्तर प्रदेश	98.1	69.3	50.7
पश्चिम बंगाल	108.5	88.2	62.0
संपूर्ण भारत	100.1	79.6	57.6

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी द्वारा 'देश में छात्रों के नामांकन और उनके पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर' के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 हेतु अवस्थांतर एवं ड्रॉप आउट दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थांतर दर			ड्रॉप आउट दर		
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (5 से 6)	प्राथमिक से माध्यमिक (8 से 9)	माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (10 से 11)	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	99.7	94.1	0.4	1.0	5.0
आंध्र प्रदेश	98.4	96.9	71.7	0.0	1.6	16.3
अरुणाचल प्रदेश	98.1	87.7	83.0	9.3	6.7	11.7
असम	92.7	83.5	70.6	6.0	8.8	20.3
बिहार	87.5	76.9	57.8	0.0	4.6	20.5
चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ	97.1	88.2	87.4	0.8	4.1	9.7
दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	100.0	99.0	89.9	0.0	0.0	9.5
दिल्ली	100.0	96.8	98.5	0.0	0.0	4.8
गोवा	100.0	100.0	87.6	0.0	0.0	9.0
गुजरात	98.8	86.5	71.8	0.0	5.0	17.9
हरियाणा	100.0	96.9	92.0	0.0	0.2	5.9
हिमाचल प्रदेश	98.5	97.8	97.5	0.0	0.6	1.5
जम्मू एवं कश्मीर	92.8	92.8	90.0	4.0	3.0	6.0
झारखंड	93.5	85.7	83.8	1.8	3.9	9.3
कर्नाटक	97.8	96.6	69.6	0.0	1.1	14.7
केरल	100.0	100.0	88.8	0.0	0.0	5.5
लद्दाख	94.0	97.7	91.5	6.5	1.1	4.9
लक्षद्वीप	99.6	97.4	99.8	0.5	2.6	0.0
मध्य प्रदेश	94.7	77.6	89.2	3.1	8.8	10.1
महाराष्ट्र	98.9	97.6	79.2	0.0	1.5	10.7
मणिपुर	85.3	88.6	100.0	13.3	5.6	1.3
मेघालय	99.5	79.8	62.3	9.8	10.6	21.7
मिजोरम	100.0	95.2	76.3	6.4	2.7	11.9
नागालैंड	96.9	93.9	74.6	5.0	4.0	17.5
ओडिशा	97.5	82.5	49.9	0.0	7.3	27.3
पुदुचेरी	95.9	97.8	89.3	3.7	2.4	6.3
पंजाब	96.0	86.0	79.2	1.3	8.0	17.2
राजस्थान	93.5	90.9	86.7	3.6	4.3	7.7
सिक्किम	95.1	100.0	89.9	1.8	0.0	11.9
तमिलनाडु	99.6	99.6	90.5	0.0	0.0	4.5
तेलंगाना	97.0	96.3	72.6	0.0	3.1	13.7
त्रिपुरा	94.0	90.3	95.5	1.1	4.5	8.3
उत्तराखंड	96.4	91.5	90.4	0.8	2.7	5.0
उत्तर प्रदेश	88.5	85.0	80.4	2.7	2.9	9.7
पश्चिम बंगाल	81.0	94.6	80.0	8.6	0.0	18.0
संपूर्ण भारत	93.2	88.8	78.4	1.5	3.0	12.6